रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112020-222934
CG-DL-E-04112020-222934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3510] **नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/ कार्तिक 12, 1942**
No. 3510] **NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3978(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, झारखंड कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	श्री एस. ई. एच. काजमी, डी-9/18, अधिकारी फ्लैट, डोरंडा, रांची-834002, झारखंड	-	अध्यक्ष;
2.	श्री अमर नाथ वर्मा, 10192 एटीएस एडवांटेज, अहिंसा खंड-1, नियर हेबीटेट सेंटर, इंदिरापुरम्, गाजियाबाद-201014, उत्तर प्रदेश	-	सदस्य;
3.	मुख्य वनपाल, सतर्कता, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार	-	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, झारखंड के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, झारखंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. प्राधिकरण, झारखंड इस अधिसूचना के पैरा-5 के अधीन झारखंड राज्य के लिए गठित राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चय करेगा।

5. केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण, झारखंड की सहायता के प्रयोजन के लिए झारखंड राज्य सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, झारखंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी, झारखंड कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	श्री अशोक कुमार सिंह, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), वसुंधरा एनक्लेव, फ्लैट नं. 103, हरम्यु बाईपास (नियर अरगोला चौक), पूरन विहार, रांची-834012, झारखंड	-	अध्यक्ष;
2.	श्री कीर्ति अविशेक, सहायक आचार्च, सिविल और पर्यावरणीय इंजीनियरी विभाग, वीआईटी मेसहरा, रांची-835215, झारखंड	-	सदस्य;
3.	श्री निरंजन लाल अग्रवाल, ईको केयर, मनोज सिमेना बेसमेंट, कारामपुर, आसनसोल-713304, पश्चिम बंगाल	-	सदस्य;
4.	डा. राजू कुमार, फ्लैट नं. 111, ब्लाक-ए, सिटी पैलेस श्री पंजाब चौक, आदित्यपुर, जमशेदपुर-831013, झारखंड	-	सदस्य;
5.	डा. अजय गोविंद भट्ट, फ्लैट नं. 404, लक्ष्मी विटिका, सांई नगर, रोड नं. 4ए, गर्दनीबाग, पटना-800001, बिहार	-	सदस्य;
6.	प्रभागीय वन अधिकारी, रांची वन खंड, रांची, झारखंड	-	सचिव।

6. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, झारखंड के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, झारखंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

8. राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, झारखंड सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेंगे और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का

मत अभिभावी होगा।

9. झारखंड सरकार, प्राधिकरण, झारखंड और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, झारखंड के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण, झारखंड और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, झारखंड के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता झारखंड राज्य सरकार के नियमानुसार संदत्त किया जाएगा।

फा. सं. जे-11013/75/2008–आईए II(I)]
अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3978(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Jharkhand (hereinafter referred to as the Authority, Jharkhand) comprising of the following Members, namely: -

1.	Shri S E H Kazmi, D-9/18, Officers Flat, Doranda, Ranchi – 834002, Jharkhand	-Chairman;
2.	Shri Amar Nath Verma, #10192 ATS Advantage, Ahinsa Khand-1, Near Habitate Center, Indrapuram, Ghaziabad- 201014, Uttar Pradesh	-Member;
3.	Chief Forest Conservator, Vigilance, Department of Forest, Environment and Climate Change, Government of Jharkhand.	-Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Jharkhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Jharkhand shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Jharkhand shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 of this notification for the State of Jharkhand.

5. For the purpose & of assisting the Authority, Jharkhand, the Central Government, in consultation with the State Government of Jharkhand, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand (hereinafter referred to as SEAC, Jharkhand) comprising of the following Members, namely:-

1.	Shri Ashok Kumar Singh, Indian Forest Service (Retired) Vasundhra Elegance, Flat No-103, Harmu Bye-Pass (Near Argola Chowk) Puran Vihar, Ranchi-834012, Jharkhand	-Chairman;
2.	Shri Kirti Avishek, Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, BIT Meshra, Ranchi-835215, Jharkhand	-Member;

3.	Shri Niranjan Lal Agarwalla, Eco care, Manoj Cinema Basement, Karampur, Asansol- 713304, West Bengal	-Member;
4.	Dr. Raju Kumar, Flat No.111, Block-A. City Palace, Shri Punjab Chowk, Adityapur, Jamshedpur- 831013, Jharkhand	-Member;
5.	Dr. Ajay Govind Bhatt, Flat No. 404, Laxmi Vitika, Sai Nagar, Road No. 4A, Gardanibagh, Patna-800001, Bihar	-Member;
6.	Forest Divisional Officer, Ranchi Forest Division, Ranchi, Jharkhand	-Secretary.

6. The chairman and members of State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Jharkhand shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Jharkhand and the State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand. The Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Jharkhand and the State Level Expert Appraisal Committee, Jharkhand shall be paid as per rules of the State Government of Jharkhand.

[F. No. J-11013/75/2008-IA-II(I)]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.11.04 14:04:34 +05'30'